राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(31)वित्त/आब/2024 जयपुर, दिनांकः 17/06/2025

आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974 के नियम, 11 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश दिनांक 27.11.2024 के अनुसार श्री विकास चन्द्र शर्मा, सहायक आबकारी अधिकारी(सामान्य शाखा) के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम, 16 के अन्तर्गत ज्ञापन क्रमांक प.19(जन)(11)वि.जांच/आब/2021/1184 दिनांक 09.09.2021 जारी होकर विभागीय जांच लम्बित होने के कारण अन्तिम निर्णय के अध्यधीन श्री विकास चन्द्र शर्मा को रिक्ति वर्ष 2024–25 में जिला आबकारी अधिकारी(सामान्य वेतनमान) के पद पर पदोन्नति हेतु अनुशंषा सील कवर की गयी थी।

श्री विकास चन्द्र शर्मा के विरूद्ध विचाराधीन उक्त ज्ञापन को आबकारी आयुक्त कार्यालय के आदेश क्रमांक प.19(जन)(11)वि.जांच/आब/EF-00078/2021/222 दिनांक 24.04.2025 के द्वारा समाप्त किये जाने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश दिनांक 27.11.2024 के अनुसार श्री विकास चन्द्र शर्मा को वर्ष 2024–25 की रिक्ति में पदोन्नति हेतु योग्य पाया गया तथा रिक्ति वर्ष 2024–25 में इन्हें जिला आबकारी अधिकारी(सामान्य वेतनमान) के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

श्री विकास चन्द्र शर्मा को पदोन्नति का काल्पनिक लाभ दिनांक 01.06.2024 से देय होगा एवं वास्तविक लाभ इनके द्वारा जिला आबकारी अधिकारी(सामान्य वेतनमान) के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। ।

श्री विकास चन्द्र शर्मा की जिला आबकारी अधिकारी(सामान्य वेतनमान) के पद पर वरिष्ठता श्री जितेन्द्र पाल सिंह सोढा, जिला आबकारी अधिकारी(सामान्य वेतनमान)(पदोन्नति वर्ष 2024–25) के नीचे तथा श्री भरत मीणा, जिला आबकारी अधिकारी(सामान्य वेतनमान)(पदोन्नति वर्ष 2024–25) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

आज्ञा से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3 निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
8. संबंधित अधिकारीगण।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

D:\rajesh gurjar\DPC Order.doc